

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2023—पौष 23, शक 1944

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम प्रज्ञा जोशी माता निर्मला द्विवेदी लिखा व पढ़ा जाता था. जिसे स्पष्टता हेतु व निजी कारणों से बदलकर प्रज्ञा द्विवेदी माता निर्मला द्विवेदी कर लिया है, जिसके बाद अब मुझे अपने परिवर्तित नाम प्रज्ञा द्विवेदी, माता निर्मला द्विवेदी से ही जाना व पहचाना जाए व मेरे द्वारा परिवर्तित नाम ही लिखा व उपयोग किया जाएगा.

पुराना नाम
(प्रज्ञा जोशी)
माता-निर्मला द्विवेदी

नया नाम
(प्रज्ञा द्विवेदी)
माता-निर्मला द्विवेदी
पता-जी-2, भगवती अपार्टमेंट, माँ दुर्गा नगर,
नवलखा, इन्दौर (म.प्र.)

(G-15)

नाम परिवर्तन

मैं, स्नेहा पिता मुकेश जांगीड मध्यप्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ पूर्व में मेरा नाम साक्षी पिता मुकेश जांगीड था अब मेरा नाम स्नेहा पिता मुकेश जांगीड हो गया है. अतः अब मुझे पुराने नाम साक्षी पिता मुकेश जांगीड के स्थान पर भविष्य में स्नेहा पिता मुकेश जांगीड के नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा.

सूचना जानिये.

पुराना नाम
(साक्षी पिता मुकेश जांगीड)

नया नाम
(स्नेहा पिता मुकेश जांगीड)
मकान नंबर 26, वार्ड नंबर 38, रास्तीपुरा
मुख बधीर स्कूल के पास, बुरहानपुर (म.प्र.)

(G-16)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री सारा उपाध्याय पुत्री श्री दीपक उपाध्याय निवासी-ए-22 न्यू शान्ति नगर, नई सड़क, लशकर, ग्वालियर का नाम जन्म प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. मैं, अपनी पुत्री का नाम संशोधन कराकर सारा उपाध्याय के स्थान पर नवीन नाम साध्या उपाध्याय कराना चाहती हूँ, अतः सभी आम व खास सूचित हो.

(प्रियम्बदा उपाध्याय पत्नी श्री दीपक उपाध्याय)
निवासी-ए-22 न्यू शान्ति नगर, नई सड़क लशकर,
ग्वालियर (म.प्र.)

(G-17)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अलवारा नाज़ (ALWARA NAAZ) है. जबकि मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की अंकसूची में अलवारा नाज़ खान (ALWARA NAAZ KHAN) एवं पिता का नाम फरीद अहमद खान (FARID AHMED KHAN) तथा माता का नाम साजिदा सहर खान (SAJIDA SAHER KHAN) अंकित है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम आधारकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र में अलवारा नाज़ (ALWARA NAAZ) एवं पिता का नाम फरीद अहमद (FARID AHMED) तथा माता का नाम साजिदा सहर (SAJIDA SAHER) उल्लेखित है, जो सही है. वर्तमान में मुझे अलवारा नाज़ (ALWARA NAAZ) एवं पिता का नाम फरीद अहमद (FARID AHMED) तथा माता का नाम साजिदा सहर (SAJIDA SAHER) के नाम से सभी सरकारी (गैर सरकारी) दस्तावेजों में जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(अलवारा नाज़ खान)
पिता-फरीद अहमद खान
माता-साजिदा सहर खान

नया नाम :
(अलवारा नाज़)
पिता-फरीद अहमद
माता-साजिदा सहर
पता- क्वाटर नं. 07, एन-04 डॉक्टर्स कॉलोनी,
कस्तूरबा अस्पताल के पास हबीबगंज भेल,
जिला-भोपाल (म.प्र.)

(G-18)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रत्ना मिश्रा उर्फ रत्ना तिवारी पुत्री श्री जगदीश नारायण था कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम रत्ना मिश्रा उर्फ रत्ना तिवारी अंकित हो गया है जो कि मेरे घरेलू नाम है उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं भविष्य में मेरे नाम अनुभूति तिवारी पत्नि श्री आलोक तिवारी के नाम से जाना जावे, लिखा जावे व पढा जावे व मान्य किया जावे तथा शासकीय, अर्द्ध शासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम मान्य किया जावे और भविष्य में इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम
(रत्ना मिश्रा उर्फ रत्ना तिवारी)
पुत्री -श्री जगदीश नारायण

नया नाम
(अनुभूति तिवारी पत्नि श्री आलोक तिवारी)
निवासी 70/1, साकेत नगर, ग्वालियर हाल,
ई-04 महल परिसर, चेतकपुरी ग्वालियर.

(G 19)

आम-सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 72 के अधीन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लक्ष्मी ऑटो एजेंसी, वार्ड नं 34, मेन रोड, बगडोना, सारणी, जिला बैतूल म.प्र. जिसका पंजीयन क्रं. 01/01/01/00174/11 सन 2011. 2012 दिनांक 23. 07. 2011, को किया गया था, जिसमें तीन भागीदार थे, भागीदारी फर्म मेसर्स लक्ष्मी ऑटो एजेंसी, वार्ड नं 34, मेन रोड, बगडोना, सारणी, जिला बैतूल से श्री उमेश सिंह रघुवंशी पिता श्री ईश्वर सिंह रघुवंशी, दिनांक 06.06.2021 को मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक किया गया हैं! अब फर्म में नये भागीदार श्रीमती रत्ना रघुवंशी पति मिथिलेश सिंह रघुवंशी दिनांक 07.06.2021 से भागीदारी फर्म मेसर्स लक्ष्मी ऑटो एजेंसी, वार्ड नं 34, मेन रोड, बगडोना, सारणी, जिला बैतूल में शामिल हो रही हैं !

और भागीदारी फर्म मेसर्स लक्ष्मी ऑटो एजेंसी, वार्ड नं 34, मेन रोड, बगडोना, सारणी, जिला बैतूल से श्रीमती त्रिवेणी भगवान सिंह रघुवंशी पति स्वर्गीय श्री भगवान सिंह रघुवंशी दिनांक 07.06.2021 से पृथक हो रही हैं!

और अब फर्म में दो भागीदार श्री मिथिलेश सिंह रघुवंशी पिता श्री ईश्वर सिंह रघुवंशी और श्रीमती रत्ना रघुवंशी पति मिथिलेश सिंह रघुवंशी भागीदारी फर्म मेसर्स लक्ष्मी ऑटो एजेंसी, वार्ड नं 34, मेन रोड, बगडोना, सारणी, जिला बैतूल में बने रहेंगे, चालू रहेंगे ।

मेसर्स लक्ष्मी ऑटो एजेंसी.
दीपक नायक अधिवक्ता,
Near LIC Office, Bagdona, Sarni.

(G 20)

जाहिर सूचना

हम बालाजी सुरेश नगर के सभी भागीदार हैं जो फर्म एवं सोसायटी कार्यालय भोपाल से रजिस्ट्रड फर्म है जिसका रजिस्टर नंबर 01/06/01/0267/21 दिनांक 11/11/2021 है. दिनांक 01.12.2022 से पार्टनर यश मालवीय और विस्तार चौधरी फर्म से रिटायर्ड हो गए थे तथा रीतेश मालवीय, जयप्रकाश सोनी और श्रीमती बबली राठौर नये पार्टनर के रूप में दिनांक 01.12.2022 से फर्म में सम्मिलित हो गए हैं.

अतः इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो तो कृपया प्रकाशन अवधि से सात दिवस में संपर्क करें.

मेसर्स श्री बालाजी सुरेश नगर,
संदीप कुमार सोनी,
पार्टनर.
विकास नगर, बैतूल,

(G 21)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति हिना कौसर हुसैन पत्नि श्री शाहिद हुसैन आयु वयस्क, निवासी मकान नं. 03, बैंक नगर कालोनी, अशोक विहार के पास अशोका गार्डन भोपाल म.प्र. यह कि मेरा विवाह श्री शाहिद हुसैन से भोपाल में सम्पन्न हुआ था. पूर्व में मेरा नाम हिना कौसर था मेरी 10 वीं व 12वीं की अंकसूची में भी हिना कौसर अंकित है. त्रुटिवश मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, वोटर आईडी में कौसर हुसैन अंकित है. अब मैं, हिना कौसर हुसैन के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. उक्त दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं उक्त नामों को लेकर भविष्य में मुझे हिना कौसर हुसैन (Hina Kausar Hussain) के नाम से जाना व पहचाना एवं लिखा व पढा जाए.

पुराना नाम
(कौसर हुसैन)

नया नाम
(हिना कौसर हुसैन)

(G-22)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s KMC Buildtech having head office at Khatke Sahab Ka Bada, Dal Bazar, Lashkar, Gwalior is registered partnership Firm with Registrar of Firms and Societies vide Registration No. 02/42/01/0127/22 dt. 11-09-2022.

On 31-10-2022, the following have been added as partner in the Partnership Firm wef 31-10-2022:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Smt. Kalawati Gurjar. | 4. Shri. Bhoop Singh Gurjar. |
| 2. Shri. Lal Singh Gurjar. | 5. Shri. Satendra Singh Gurjar. |
| 3. Shri. Kiledar Singh Gurjar. | 6. Smt. Meera Bai Gurjar. |

Now the partners of the firm are :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Mature Realestate LLP | 5. Shri. Kiledar Singh Gurjar. |
| 2. Growth Realestate LLP | 6. Shri. Bhoop Singh Gurjar. |
| 3. Smt. Kalawati Gurjar. | 7. Shri. Satendra Singh Gurjar. |
| 4. Shri. Lal Singh Gurjar. | 8. Smt. Meera Bai Gurjar. |

This public notice is being published for the purpose of registration of change in the composition of the partnership firm with the office of registrar of firm and society.

For M/s **KMC Buildtech**,
Growth Realestate LLP,
Through Authorized Representative,
Partner.

(G 23)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक, राहतगढ़, जिला-सागर

क्रमांक-1294-रीडर-अ.वि.अ.-2022-23

मौजा :- भबूकावरी तह. राहतगढ़ जिला-सागर
क्रमांक :-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हरिमिंह वल्द मुन्नीलाल निवामी ग्राम भबूकावारी तहसील राहतगढ़ जिला सागर द्वारा प्रारूप 3 नियम 4(2) अंतर्गत धारा 4 लोक न्यास के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम भबूकावारी तहसील राहतगढ़ जिला सागर मध्यप्रदेश स्थित श्री देव दुर्गा जी एवं श्री देव जानकी रमण मंदिर के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया है। जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम, पते निम्नानुसार हैं :-

1. श्री हरिमिंह पिता मुन्नीलाल, ग्राम भबूकावारी तह. राहतगढ़ जिला सागर - अध्यक्ष
2. श्री हरिचरण पिता पिता खुमान सेन, ग्राम भबूकावारी तह. राहतगढ़ जिला सागर - उपाध्यक्ष
3. श्री कोमलमिंह पिता प्यारेलाल कुशवाहा, ग्राम भबूकावारी तह. राहतगढ़ जिला सागर - सचिव
4. श्री भागीरथ पिता खेमचंद लोधी, ग्राम भबूकावारी तह. राहतगढ़ जिला सागर - कोषाध्यक्ष
5. श्री राममिंह पिता महिलाल, ग्राम भबूकावारी तह. राहतगढ़ जिला सागर
6. श्री बिहारीलाल पिता जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्त, ग्राम भबूकावारी तह. राहतगढ़ जिला सागर
7. श्री पूरननाथ पिता शंभूनाथ, ग्राम भबूकावारी तह. राहतगढ़ जिला सागर
8. श्री कन्देदी पिता मुकंदी अहिरवार, ग्राम भबूकावारी तह. राहतगढ़ जिला सागर
9. श्री हन्कई पिता हरप्रसाद प्रजापति, ग्राम भबूकावारी तह. राहतगढ़ जिला सागर

न्यास के पदाधिकारियों का निर्वाचन कुल न्यामियों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा, न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

लोक न्यास का नाम :- श्री देव दुर्गा जी एवं श्री देव जानकी रमण मंदिर।

पता :- ग्राम भबूकावारी तह. राहतगढ़ जिला सागर मध्यप्रदेश

चल संपत्ति :-

1. श्री देव दुर्गाजी, श्री देव जानकी रमण भगवान, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी व शिवजी की मूर्तियाँ
2. भगवान की पोशाकें :- 2000/- रूपये
3. चाँदी के मुकुट :- 200 ग्राम

अचल संपत्ति (क) :-

ग्राम भवूकाबारी पटवारी हल्का नंबर 18 तह. राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 113, 118, 163, 238, 239, 288, 372, 477 रकबा क्रमशः 0.90, 3.14, 1.35, 1.05, 1.19, 1.06, 0.07, 0.16 कित 08 कुल रकबा 8.92 हे. जो कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में श्री देव जानकी रमण जी वाके देह मुह. प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर भूमि स्वामी के नाम से दर्ज है। तथा खसरा नंबर 297, 478 रकबा क्रमशः 2.43, 0.51 कित 02 कुल रकबा 2.94 हे. भूमि श्री दुर्गा जी वाके देह मुह. अर्जुन सींग पिता देवीसींग मा.देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर के नाम दर्ज है।

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा अथवा आपत्ति हो, तो वह दि. 27/01/2023 तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर साबाद म्याद के किसी भी प्रकार की दावा अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

पेशी दिनांक :- 27/01/2023

जारी दिनांक :- 26/12/2022

(G 24)

देवेन्द्र प्रताप सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बण्डा जिला सागर

क्रमांक-क-1284-रीडर-1-2022

बण्डा, दिनांक 16.12.2022

प्र0क0 बी/113 वर्ष 21-22
मौजा --नयाखेडा

1- कीरतसिंह पिता जुझारसिंह अध्यक्ष श्री देव महावीर(हनुमान) मंदिर
निवासी नयाखेडा, तहसील बण्डा जिला सागर
विरुद्ध

- आवेदक

2- म0प्र0शासन

- अनावेदक

// इस्तहार //
—000—

सर्वसाधारण को इस्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक सर्वसाधारण को इस्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक कीरतसिंह पिता जुझारसिंह अध्यक्ष मौजा नयाखेडा प0ह0न0 04 तहसील बण्डा जिला सागर में स्थित श्री देव महावीर (हनुमानजी) मंदिर नयाखेडा तहसील बण्डा जिला सागर, द्वारा न्यास एवं न्यासधारी के न्यास म0प्र0 अधिनियम की धारा 4 के अधीन लोक न्यास का पंजीयन कराने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

	प्रस्तावित नाम	पद नाम	निवास का पता
1	श्री जुझारसिंह पिता कीरतसिंह	अध्यक्ष	गनेशपुरा, नयाखेडा
2	श्री रामसींग पिता रूपसींग	संरक्षक	गनेशपुरा, नयाखेडा
3	श्री गोविन्द पिता सूरतसिंह	उपाध्यक्ष	गनेशपुरा, नयाखेडा
4	श्री सुमनसिंह पिता रामसिंह	सचिव	गनेशपुरा, नयाखेडा
5	श्री जनकसिंह पिता रामप्रसाद लोधी	कोषाध्यक्ष	गनेशपुरा, नयाखेडा
6	श्री मुन्ना रैकवार पिता मोहन रैकवार	सदस्य	गनेशपुरा, नयाखेडा
7	श्री संतोषसींग पिता करनसींग	सदस्य	गनेशपुरा, नयाखेडा
8	श्री गब्बरसिंह पिता कल्याण सिंह लोधी	सदस्य	गनेशपुरा, नयाखेडा

ग्राम समिति के प्रस्ताव अनुसार श्री देव महावीर (हनुमान जी) मंदिर नयाखेडा के नवीन समिति का गठन किया जाना है, अतः उक्त संबंध में जिस किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 10/01/2023 को उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। म्याद गुजरने पर प्रस्तुत आपत्ति पर किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया जावेगा।

इस्तहार आज दिनांक 16/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G 25)

प्रकाश नायक, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त, जिला भोपाल म.प्र.

क्रमांक-1381-रीडर-2023

भोपाल, दिनांक 03.01.2023

म00प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम5(1) के अंतर्गत समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

- आवेदक श्री सुशील कुमार जैन आ. श्री निर्मल चंद्र जैन निवासी ए-250, अशोका गार्डन, भोपाल द्वारा "पर्यावरण, संस्कृति संरक्षण एवं मानव कल्याण ट्रस्ट को ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।
- एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 03.02.2023 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञापित के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें, अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	"पर्यावरण, संस्कृति संरक्षण एवं मानव कल्याण ट्रस्ट"
कार्यालय का पता	ए-250, अशोका गार्डन, भोपाल
अचल सम्पत्ति	ट्रस्ट के समस्त भवन एवं भूमि व उनके साथ के भवन व भूमि, समय-समय पर दिये गये दान में प्राप्त भूमि व भवन, कय किये गये भवन एवं भूमि, इच्छा पत्रानुसार या प्रचलित नियमानुसार उत्तराधिकार में प्राप्त अचल संपत्ति।
चल सत्पत्ति	ट्रस्ट में उपलब्ध समस्त धनराशि, जेवरात, बरतन व अन्य उपयोग की वस्तुएं हैं। इस प्रकार ट्रस्ट को भविष्य में प्राप्त होने वाली चल संपत्ति ट्रस्ट की संपत्ति होगी।

(G 26)

जमील खान, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

क्रमांक-परि-2022-Q

शाजापुर, दिनांक 07.12.2022

(म0प्र0सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र	नाम संस्था	पंजी.क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मीरपुर	1181/26.12.14	40/11.01.17
2	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोलायकला	223/26.08.83	1323/16.11.15
3	मुरादाबाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निछमा	1648/12.05.2014	57/21.01.2021
4	नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रानीबडौद	1117/03.11.2014	54/21.01.2021

अतः मैं गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला शाजापुर म0प्र0सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/राक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G 27)

गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला-नीमच, मध्यप्रदेश

क्र. 5221-रीडर-1-प्र.क्र. 001-बी-113 (1)-2022-23

नीमच, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022

प्रारूप चार

म.प्र.लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 उपधारा-2 और म.प्र.लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा

चूंकि आवेदक श्री सतीशचंद्र गोयल पिता माणकचंद्र गोयल, निवासी-37 सत्यपथ दानागली नीमच द्वारा " श्री फूलचन्द रामसहाय परमार्थिक एवं धार्मिक न्यास नीमच " लोक न्यास पंजीयन हेतु म.प्र.लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन लोक न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है । आवेदन में न्यास द्वारा निम्नानुसार कार्यकारी न्यासधारी और प्रबंधक नियुक्त किए हैं जो इस प्रकार है:-

1-सतीशचंद्र गोयल पिता माणकचंद्र गोयल,	मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष
2-श्यामसुन्दर गोयल पिता भंवरलाल गोयल,	उपाध्यक्ष ट्रस्ट
3-मुकेश कुमार गोयल पिता स्व.बाबुलाल गोयल,	सचिव ट्रस्ट
4-मनीष गोयल पिता गिरीराज गोयल,	सहसचिव ट्रस्ट
5-दीपेश कुमार गोयल पिता स्व.ज्ञानचंद्र गोयल,	कोषाध्यक्ष ट्रस्ट
6-कृष्ण कुमार गोयल पिता स्व.रामजीलाल गोयल,	ट्रस्टी
7-आलोक गोयल पिता स्व.माणकलाल गोयल,	ट्रस्टी
8-हितेश गोयल पिता गिरीराज गोयल,	ट्रस्टी
9-अमरीश गोयल पिता गिरीराज गोयल,	ट्रस्टी

आवेदक द्वारा ट्रस्ट हेतु प्रस्तुत आवेदन अनुसार एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13 जनवरी, 2023 को विचार के लिए लिया जावेगा । कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञापित के द्वारा सूचना दी जाती है ।

अतः मैं डॉ. ममता खेड़े, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, म.प्र. का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 जनवरी, 2023 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करती हूँ ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए । उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा ।

// अनुसूची //

लोक न्यास का नाम व पता :- " श्री फूलचन्द रामसहाय परमार्थिक एवं धार्मिक न्यास नीमच "

1/1 तिलक मार्ग, फिरोजशाह पेट्रोल पंप रोड़ नीमच

न्यास की स्थावर सम्पत्ति का विवरण :- (1)-नृसिंह मंदिर(मकान नंबर 72 एवं 73 दक्षिणी भाग) नया बाजार एवं मंदिर की दुकान

(2)-बावड़ी वाले बालाजी श्याम मंदिर(556-557 का भाग) तिलकमार्ग नीमच

चल सम्पत्ति

:- 11000/- (अक्षरी रूपयें ग्यारह हजार मात्र)

दिनांक 12/12/2022

(G 28)

डॉ. ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2023—पौष 23, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)